

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

आदेश पत्रक ता. 29.07.2025

जिला - गिरिडीह केस नं.51/2025 (भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत)

सुनील साव -बनाम- डोमन साव वगैरह

(भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 उपधारा 4)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पक्षाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
(9). 29.07.2025	आवेदक, प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिकारिता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत समर्पित आवेदन के आलोक में वादगत भूमि की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अंचल अधिकारी, पीरटांड तथा थाना प्रभारी, पीरटांड को निदेशित किया गया। पीरटांड अंचल अधिकारी के पत्रांक 336 दिनांक 17.05.2025 के माध्यम से वादगत भूमि के संबंध में स्थलीय तथा राजस्व दस्तावेजों की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें वादगत भूमि पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया। थाना प्रभारी, पीरटांड के द्वारा इस वादगत भूमि के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, पीरटांड द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वादगत भूमि जिसकी विवरणी नीचे अंकित है, पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधित करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। — वादगत भूमि की विवरणी — मौजा : कर्णपुरा, थाना नं० 20, खाता नं० 05, प्लॉट नं० 108, रकवा: 12 डी० अंचल अधिकारी, पीरटांड के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा: कर्णपुरा, थाना नं० 20, खाता नं० 05, प्लॉट नं० 108, रकवा: 2.44 ए० भूमि सर्वे खतियान अनुसार बकास्त खाते की भूमि है। वर्णित भूमि प्रथम पक्ष को रकवा: 23$\frac{1}{4}$ डी० बकास्त खाता की भूमि वजरिए केवाला नं० 23499 दिनांक 03.08.1970 एवं द्वितीय पक्ष को रकवा: 60 डी० वजरिए केवाला नं० 23248, वर्ष 1969 द्वारा उभय पक्ष को विक्रेता कैलु साव से प्राप्त है। स्थलीय जाँच अनुसार उभय पक्ष को विक्रेता कैलु साव प्लॉट नं० 108 पर अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय विभिन्न वर्ष में कर दिये जाने के फलस्वरूप एक ही भूमि पर दोनों पक्ष दावा पेश कर रहा है। जिससे शांति व्यवस्था भंग होने तथा अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल संभावना है। इस वाद में निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा कारणपृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया, जो कि अभिलेखबद्ध है। उभय पक्ष के विज्ञ	

2

अधिवक्ताओं द्वारा दलीलें प्रस्तुत की गई।

— विचारण एवं आदेश —

इस वाद में सुनवाई के दौरान प्रथम पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त तथा अंचल अधिकारी, पीरटांड के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादगत भूमि का किस्म बकास्त खाते की है। वादगत भूमि उभय पक्षकारों को एक ही विक्रेता के द्वारा विभिन्न वर्षों में बिक्री किया गया है। प्रथम पक्ष ने वर्ष 1970 में केवाला के माध्यम से 23.5 डी० भूमि प्राप्त किए तथा द्वितीय पक्ष भी केवाला के माध्यम से 60 डी० भूमि वर्ष 1969 में प्राप्त किए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्षकार वादगत भूमि प्रथम पक्षकार से पहले क्रय किए हैं। द्वितीय पक्षकार पूर्व से निर्मित मकान के साथ नया निर्माण कार्य कर रहे थे जिसपर प्रथम पक्ष के द्वारा आपत्ति किया गया। समर्पित दस्तावेजों एवं कारणपृच्छा के आधार पर यह मामला उभय पक्षकारों के बीच केवाला के माध्यम से विभिन्न वर्षों में खरीदगी भूमि को लेकर स्वत्व (Title) से संबंधित हो जाता है। जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद (Title Suit) दायर कर किया जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी न्यायालय केवाला से खरीदगी भूमि का स्वत्व (Title) निर्धारण करने हेतु सक्षम न्यायालय नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तथा भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(4) के तहत इस वाद में सुनवाई हेतु आज अंतिम तिथि होने के कारण इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
डुमरी।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
डुमरी।